FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं 2 किशनगढ़ जिला अजमेर**

रतनी देवी बनाम **विजय सिंह**

दीवानी इजराय सं. 218/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.03.2024	वकील डिक्रीदार व वकील मद्यून उपस्थित। अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा दिनांक 09.01.2024 को एक प्रार्थना पत्र मिन्स प्रोफिट की राशि हेतु वसूली वारण्ट जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि हस्तगत ईजराय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2022 की पालना हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें 3000/– रूपये प्रतिमाह की दर से अंतःकालीन लाभ वादिया को दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायरी की गई जिसमें बेदखली नहीं करने बाबत आदेश पारित किया गया परन्तु अन्तःकालीन लाभ वसूली की राशि के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन राशि वसूली हेतु वारण्ट जारी करने का निवेदन किया। इसके खण्डन में अधिवक्ता मद्यून का यह कथन है कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16.02.2022 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2023 को प्रतिवादीगण को बेकब्जा किये जाने पर स्थगन दिया गया है एवं चूंकि प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में डिक्रीदार कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2022 को आदेश पारित करते हुए प्रतिवादीगण को दिनांक 16.02.2022 से तीन माह के अंदर वादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा वादिया को सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त सम्पत्ति के उपयोग उपभोग के बेदखली दिनांक16.06.2012 से कब्जा प्राप्ति तक 3000/– रूपये प्रतिमाह अंतःकालीन लाभ के रूप में दिये जाने बाबत आदेश पारित किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 का ससम्मान अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में आगामी सुनवायी तक विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को बेकब्जा नहीं किये जाने बाबत आदेश दिया गया है, परन्तु अंतःकालीन लाभ बाबत कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी अंतःकालीन लाभ बाबत स्थगन आदेश प्रस्तुत करें अन्यथा अंतःकालीन लाभ वसूली बाबत आदेश पारित किया जायेगा। पत्रावली वास्ते पेश होने स्थगन आदेश हेतु दिनांक 22.03.2024 को पेश हो।	